



Valiant Deeds Undying Memories: Stories From IPKF

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtrdoot

'Theirs not to reason why, its but to do and die' can sum up India's experience during Operation Pawan.

Bee Biodiversity

Tried&Tasted: 10-Minute Meals

When cooking feels overwhelming.

पांच महीने की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की "ब्राण्ड इमेज" में चमक तो जरूर आयेगी

पर, यह चमक कितने दिन चलेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि, राहुल यात्रा के बाद "क्या" और कितना "फॉलोअप" कदम उठाते हैं

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। लम्बी दूरी की "भारत जोड़ो यात्रा" एक ऐसी चीज है जिसे राहुल गांधी को काफी समय पहले कर लेना चाहिए था, कांग्रेस के लिए और खासकर खुद के लिए ताकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई "पप्पू" की छवि को समाप्त किया जा सके। उनके पप्पू की छवि निर्माण को सबसे मंहगे और सबसे बड़े मीडिया प्रोजेक्ट के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

ग्रॉण्ड एक्सपर्ट्स और मार्केटिंग, बिजनेस तथा इमेज की दुनिया को समझने वाले लोगों और विशेषज्ञों के अनुसार एक नया ब्राण्ड "ब्राण्ड राहुल" बनाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को प्रयास करने होंगे और इण्डिया तथा भारत की पांच लाख मन्वी पैदल यात्रा के जरिए पप्पू के मिथक को चकनाचूर करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ब्राण्ड राहुल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यात्रा की सफलता और जनता की प्रतिक्रिया के अलावा अधिक महत्वपूर्ण है फॉलो अप एक्शन, जिसके लिए दृढ़ता निरंतरता और उद्देश्य के प्रति समर्पण भाव चाहिए।

■ ब्राण्ड विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि, राहुल गांधी की "पप्पू छवि", बहुत मेहनत करके भाजपा के प्रचार तंत्र ने जनता के जहन में जमा दी है।

■ इस "इमेज" को मिटाना इतना आसान नहीं है। इसके लिये राहुल गांधी को लगातार लगे रहना पड़ेगा और इसके लिये दृढ़ता, मेहनत के अलावा बहुत पैसा चाहिये। दृढ़ता व मेहनत तो राहुल शायद कर सकते हैं, पर मीडिया में, जैसे दिवटर, वॉट्सअप, अदि, पर लगातार काम करने के लिये एक्सपर्ट टीम व पैसा चाहिये, टी.वी. चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टरों व संपादकों को अपने प्रभाव में लेना होता है, जैसा भाजपा व आप ने कर रखा है।

■ भाजपा का विशेष ध्यान राहुल पर रहता है, उनकी मीडिया टीम, राहुल की छोटी सी गलती को "हाई-लाइट" करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

■ क्या राहुल इस प्रयास का जवाब दे सकेंगे। इसी पर उनके राजनीतिक जीवन की सफलता निर्भर है। यात्रा का एक विशेष लाभ जरूर होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो किनारे पर बैठे हैं, यात्रा से राहुल में उनका और अधिक विश्वास दिखेगा।

बैंगलोर की एक पी.आर.कम्पनी "ब्रैण्डकॉम" के संस्थापक एवं सी.ई.ओ. श्रीधर रामानुज का मानना था कि यात्रा उन कई कार्यों में से एक है जो राहुल गांधी को करने चाहिए थे और उनको लेकर बनी गरीबी धारणा को देखते हुए उन्हें स्वयं के लिए वह रूख अपनाना था जैसा कि वे वास्तविकता में हो सकते हैं। बैण्ड एक्सपर्ट ने कहा कि "वे गरीबों पर ध्यान दे हे है, लेकिन शिक्षित मध्यम वर्ग की अनदेखी कर रहे

हैं, जो अच्छी बात नहीं होगी। वे और गंभीर प्रयास ही उन्हें इससे छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह यात्रा उनकी छवि सुधार के लिए एक अच्छी शुरुआत है। निश्चित रूप से उन्हें एक दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है और यह उसका स्पष्ट क्रियान्वयन है।" वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक समीक्षक माधवन नारायण की नजर से पप्पू की छवि भाजपा द्वारा निर्मित एक मिथक है। उन्होंने कहा कि "एक छवि ही

के कारण गहराई हुई है। सिर्फ समय और गंभीर प्रयास ही उन्हें इससे छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह यात्रा उनकी छवि सुधार के लिए एक अच्छी शुरुआत है। निश्चित रूप से उन्हें एक दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है और यह उसका स्पष्ट क्रियान्वयन है।" वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक समीक्षक माधवन नारायण की नजर से पप्पू की छवि भाजपा द्वारा निर्मित एक मिथक है। उन्होंने कहा कि "एक छवि ही

वह चीज है जिसे पार्टी के किसी नेता की विश्वसनीयता के रूप में मजबूत करने की जरूरत है और यदि वे उत्तर भारत के लोगों के समक्ष जन मुद्दे उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह यात्रा उनके छवि निर्माण को मजबूती प्रदान कर सकती है।"

यह तो तय है कि राहुल गांधी अपनी और कांग्रेस पार्टी की एक विशिष्ट पहचान (ब्रान्ड) बनाने का एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी पहचान को व्यापक बनाने के लिये विन्यास के उत्तर में, अर्थात् उत्तरी भारत में उल्लेखनीय प्रभाव पैदा करना होगा। नारायण ने कहा, "यह याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्राण्ड का मतलब केवल याद किये जाने से नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा एवं साख से भी है। इसके बावजूद कि भाजपा के पास प्रचार एवं दुष्प्रचार का एक व्यापक एवं सुदृढ़ तंत्र है, जो उनकी हर छोटी-मोटी गलती पर झपट्टा मारता है, इसलिये उन्हें स्वयं को एक राष्ट्रीय ब्राण्ड बनाने के लिये सकारात्मक रूप में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी।"

"बिजनेस टुडे" तथा "बिजनेस वर्ल्ड" पत्रिकाओं के पूर्व सम्पादक प्रसन्नजित दत्ता ने कहा, "इय इस बात पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गांगुली और शाह को राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। अपने पूर्व फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सौरव गांगुली और जय शाह को बी.सी.सी.आई के अपने पदों पर तीन और वर्षों तक कार्य करने की अनुमति दे दी। ज्ञातव्य है कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के पदाधिकारी तीन साल से ज्यादा अपने

■ सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व फैसला पलट दिया और अब सौरव गांगुली व जय शाह तीन और वर्षों के लिए बी.सी.सी.आई. का नेतृत्व कर पायेंगे। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया था कि, बी.सी.सी.आई. के पदाधिकारी सिर्फ 3 साल के लिए ही अपने पद पर बने रह सकेंगे।

पद पर नहीं रह पाएंगे। बुधवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सौरव गांगुली और जयशाह के बी.सी.सी.आई. में अपने-अपने पदों पर बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है।

जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया कि भारतीय क्रिकेट सफल है। न्यायिक पुनरावलोकन की वजह से नहीं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद संभालें'

प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करने के लिये कहा गया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। राहुल गांधी का मन बदलने और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए मनाने हेतु एक और प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटीयों से सदस्यों को लिस्ट दी गई जो वोट देंगे। राहुल गांधी ने इंकार किया पर सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने अभी हार नहीं मानी है और वे चाहती हैं कि राहुल गांधी पार्टी को कमान संभालें। यह निर्णय ऐसे कई नेताओं के मनमाफिक है जो राहुल गांधी के नाम

■ राहुल गांधी तो अडिग हैं, अध्यक्ष पद न संभालने के निर्णय पर, सोनिया गांधी ने हार नहीं मानी है तथा यह राहुल को अध्यक्ष बनवाने के प्रयास की अंतिम कोशिश है।

■ अशोक गहलोत का खेमा इस प्रयास से आल्हादित है, क्योंकि इससे गहलोत की, कार्यकाल पूर्ण होने तक मु.मंत्री बने रहने की इच्छा पूरी होने की संभावना बनती है।

■ पर, राहुल गांधी अभी दृढ़ संकल्पित हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष पद न संभालने के निर्णय के बारे में। अतः गहलोत खेमे का आशावाद ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पायेगा।

कहा है कि वे राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान संभाल ले व अध्यक्ष पद स्वीकार करने का आग्रह करने के लिए प्रस्ताव पारित करें। आज सभी पी.आर.ओ. की मॉटिंग हुई जिसमें उन्हें उन पी.सी.सी. पर दुकान चला रहे हैं और राहुल गांधी के नाम या पार्टी चलाने है। समझा जाता है कि यह स्थिति अशोक गहलोत के भी अनुकूल है जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा के 46 लोकसभा सांसद व राज्यसभा के 7 सदस्य एस.सी. वर्ग के हैं

इस वर्ग पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिये भाजपा व्यापक प्रोग्राम शुरू कर रही है, प्र.मंत्री के जन्मदिन से

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। भाजपा के राष्ट्रीय नेता जहां राहुल गांधी की "भारत जोड़ो यात्रा" पर छिद्रान्वेषी नजर रखे हुये हैं, वहीं पार्टी के रणनीतिकार 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के अन्तर्गत अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुसूचित जाति मतदाताओं तक पहुँचने तथा उनसे सम्पर्क साधने की दिशा में सक्रिय एवं प्रेरित-प्रोत्साहित कर रहे हैं।

एस.सी. वोटों को आकर्षित करने के उद्देश्य से चलाये गये विशाल सम्पर्क अभियान के अन्तर्गत, भाजपा ने एक "प्रवास" अभियान शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत, पार्टी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर, दलित समुदाय के लिये लाई गई मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं विषय में

■ छोटी-छोटी कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाकर भाजपा एस.सी. बाहुल्य क्षेत्रों में "प्रवास" कार्यक्रम चलाएगी।

■ जैसा कि विदित ही है कि, प. बंगाल के विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत एस.सी. वोट भाजपा के पक्ष में चुना था तथा यू.पी. में विधानसभा चुनाव में एस.सी. वोटर बसपा का साथ छोड़ कर भाजपा से जुड़ा था।

■ भाजपा का यह "टोली" कार्यक्रम प्र.मंत्री के जन्मदिन, 17 सितम्बर से शुरू होकर 26 नवम्बर (संविधान दिवस) तक चलेगा।

जागरूकता पैदा करेंगे। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्म दिन, 17 सितम्बर से शुरू होगा तथा संविधान दिवस यानी 26 नवम्बर तथा जारी रहेगा।

प्रसंगवश बता दें कि विपक्षी कांग्रेस यह उम्मीद संजोये हुये है कि एस.सी. तथा एस.टी. जातियों के बीच पार्टी के पूर्ववर्ती स्वीकार्यता को वापस लाकर

अपने भविष्य को पुनर्जीवन प्रदान करेंगी।

भाजपा नेताओं ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत, छोटी-छोटी "टोलियां" बनाई जायेंगी तथा उन टोलियों को एक फोल्डर दिया जायेगा, जिसमें एस.सी. समुदाय के कल्याण के लिये क्रियान्वित की जा रही राज्य तथा

केन्द्र की योजना का विस्तृत विवरण होगा। भाजपा के पास इस समय एस.सी. समुदाय के 46 लोकसभा सांसद तथा 7 राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही के वर्षों में, इस समुदाय में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है, जैसा कि गत वर्ष हुये पश्चिम बंगाल के चुनावों में प्रदर्शित हुआ है। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनावों में 50 प्रतिशत एस.सी.वोट भाजपा को मिले थे। इस साल हुये, उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में, एस.सी. मतदाताओं का काफी बड़ा हिस्सा बसपा से दूर हो गया था तथा उसने भाजपा को वोट दिये थे। जाहिर है, 2024 के संसदीय चुनाव से पहले, पार्टी एस.सी. समुदाय के इस समर्थन को और अधिक व्यापक रूप में लाना चाहती है। एस.सी. वर्ग के महापुरूषों के प्रति सम्मान दर्शाने वाले पर्व तथा पुस्तिकाएँ दलित बस्तियों में बाँटी जायेंगी। इसके साथ ही, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रामलला दर्शन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम लला के दर्शन की एक विशिष्ट तिथि तो घोषित नहीं की किन्तु

■ अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना रहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने घोषणा की है कि, दिसम्बर 2023 तक रामलला के सार्वजनिक दर्शन शुरू हो जाएंगे। ज्ञातव्य है कि राय ने अभी कुछ दिन पहले ही मंकर संक्रांति 2024 से दर्शन शुरू होने की घोषणा की थी।

कहा कि अयोध्या के निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में पहली मंजिल के निर्माण के बाद अगले वर्ष दिसम्बर से राम लला (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हिजाब एक धार्मिक फर्ज़ है, जिसे न्यायालय परिभाषित नहीं कर सकता'

सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के मसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन व हुजेफा अहमदी ने बहस के दौरान सवाल उठाया हदीस का विश्लेषण करेंगे तो, यह स्पष्ट हो जाता है कि, सिर ढकना महिलाओं का फर्ज़ है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा स्कूलों में मुस्लिम बालिकाओं के हिजाब पहनने पर लगाई गई रोक के खिलाफ चल रही सुनवाई के पाँचवें दिन, बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि धार्मिक फ़नमानों के अनुसार, हिजाब पहनना एक "फर्ज़" है तथा अदालत इसकी अनिवार्यता निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है।

कुछ वादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष उलझने वाला था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा था कि हिजाब अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसके न पहनने पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने न्यायमूर्ति हेमन्त गुला तथा सुंघाशु धूलिया की दो जजों वाली बैंच

■ "हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से मुस्लिम छात्रा को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।"

■ अधिवक्ता अहमदी ने न्यायालय को बताया कि, हिजाब पर प्रतिबंध लगने से 17,000 मुस्लिम छात्राएँ परीक्षा नहीं दे सकीं।

को बताया कि जब यह दर्शा दिया गया है कि हिजाब पहनना एक निर्विवाद चलन है, तो इसकी अनुमति देनी ही होगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में बिजोई इमैनुअल केस में सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा दिये गये फैसले का हवाला दिया। अपरहन्ड सत्र में, वरिष्ठ एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि स्कूलों में हिजाब पहनने के खिलाफ दिए गए सरकारी आदेश में भाईचारे की अवधारणा का गलत अर्थ लिया गया है। उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति हिजाब से भड़कता है, तो उसके अन्दर भाईचारे की भावना होनी चाहिये।" उन्होंने पूछा, "राज्य की प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में है या फिर इसमें है? क्या हिजाब इतना अनुचित है कि आपको इस पर रोक लगानी पड़ रही है?"

अहमदी ने अदालत को बताया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार हिजाब-विवाद के कारण, 17000 छात्राएँ परीक्षाओं से अलग रहें। उन्होंने बैंच से यह अनुरोध भी किया कि इस प्रकार को किसी बड़ी बैंच को सौंप दिया जाये। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने झालावाड़ एस.पी. को तलब किया

जयपुर, 14 सितंबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने, वर्ष 2018 में झालावाड़ जिले में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में और आगे जांच करने के अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर झालावाड़ एस.पी. को 19 सितंबर को तलब किया है।

झालावाड़ जिले में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'रिज़र्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। चौफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली संविधान बैंच इकोनॉमिकली वीकर सैव्थान्स (ई.डब्ल्यू.एस.) को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण पर गुरुवार की भी सुनवाई जारी रखेगी क्योंकि वह बुधवार को दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर अनिर्णायक स्थिति में रही।

सौनियर एडवोकेट पी. विल्सन, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होने के बाद खड़े हो गए। वह गुरुवार को भी अपना निवेदन जारी रखेंगे। उन्होंने सुनवाई की शुरुआत में विलियम ए को उद्घृत किया "शेर और बिल के लिए एक जैसा कानून दमन है।" उन्होंने कहा कि एक ओर तो एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. आरक्षण और दूसरी ओर ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के बारे में उन्हें यही कहना है।

आर्थिक रूप से कमजोर सर्वांग व्यक्तियों को शिक्षा, सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण देने पर बहस काफी तेज तर्रार हुई

सौनियर एडवोकेट सलमान खुशींद जिन्होंने पूर्व में जिरह की, तर्क प्रस्तुत किया कि ई.डब्ल्यू.एस. कोटा गठित करने के बजाए आर्थिक कमजोरी के मुद्दे के समाधान के और भी कई तरीके हैं। उन्होंने आरक्षण पर भारतीय नीति को पढ़कर सुनाया और जोर देकर कहा कि आरक्षण भारत में सकारात्मक कार्रवाई का हिस्सा है और ई.डब्ल्यू.एस. कोटे के लिए किया गया 103वां, संशोधन इस मापदण्ड को पूरा नहीं करता।

विल्सन ने तर्क दिया कि ऊंची जातियों को आरक्षण देने के लिए किया गया संशोधन मूल संरचना का उल्लंघन है और सकारात्मक कार्रवाई के विचार का मखौल है क्योंकि यह

■ इस आरक्षण के विरोध में सलमान खुशींद, वरिष्ठ अधिवक्ता विलसन, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ने काफ़ी गंभीर व विश्लेषणात्मक पैरवी की।

■ कुछ अन्य वकीलों ने यह तर्क भी दिया कि, ई.डब्ल्यू.एस. को सरकारी नौकरियों व उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का मतलब होगा, पांच प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. जनसंख्या को 10 प्रतिशत आरक्षण देना, जबकि अभी तक इस बात का विधिवत् आंकड़ों सहित आकलन नहीं हुआ है कि, इस वर्ग की आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर है।

■ वकीलों ने इस तर्क को आगे ले जाते हुए, यह भी कहा कि, 85 प्रतिशत जनसंख्या (25.5 प्रतिशत एस.सी./एस.टी., 60 प्रतिशत ओ.बी.सी.) को दिया जा रहा आरक्षण 50 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि ई.डब्ल्यू.एस. का वर्गीकरण ना तो तर्कसंगत है और ना ही वैधा। उन्होंने

कहा कि इसी तरह का एक संशोधन एक अध्यादेश के जरिए वर्ष 2016 में गुजरात में लाया गया था और गुजरात हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।

दयाराम वर्मा द्वारा दायर याचिका का जिक्र करते हुए विल्सन ने कहा कि स्पष्ट है कि आर्थिक मापदण्ड आरक्षण के उद्देश्य के लिए एकमात्र मापदण्ड

नहीं हो सकता और महत्वपूर्ण यह है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

विल्सन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में भी आर्थिक मापदण्ड के आधार पर किसी समूह को चिन्हित करने से इंकार कर दिया था। उन्होंने अशोक कुमार केस में संविधान बैंच के एक निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें बैंच कहती है कि "क्रोमी लेयर नहीं हटाया और अगड़ी जातियों को शामिल करना समानता का उल्लंघन है।"

यह ध्यान दिलाते हुए कि अनुच्छेद 15(6) में ई.डब्ल्यू.एस. परिभाषित नहीं हैं, उन्होंने कहा कि इसमें यह निर्णय करने का अधिकार पूर्ण रूप से सरकार पर छोड़ दिया गया है कि ई.डब्ल्यू.एस. कौन होंगे और इसका निर्णय समय-समय पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नागरिक के निर्देशित सिद्धांत का तिरस्कार है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फीफा को गारंटी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 सितम्बर। बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट ने फीफा (फैडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन) को हस्ताक्षरित गारंटी देने

■ भारत सरकार ने फीफा को हस्ताक्षरित गारंटी दी है कि, 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारत में अंडर 17 वीमेन्स वर्ल्ड कप फुटबाल का आयोजन होगा।

को मंजूरी दे दी कि भारत में अगले महीने 11 से 30 अक्टूबर तक अंडर 17 इंटरनेशनल वीमेन्स वर्ल्ड कप 2022 प्रतिस्पर्धा का आयोजन होगा। हर दो साल में होने वाली इस युवा प्रतिस्पर्धा का भारत के आयोजन होगा। इससे पहले 2017 में भारत में अंडर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)